श्री गोपाल मीणा, भा0 प्र0 से0, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में आयोजित मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षात्मक बैठक दिनांक 10.10.2013 की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार ।

1. सर्व प्रथम जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों /कर्मियों का स्वागत किया गया। उसके उपरानत यह बताया गया कि संभवतः नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह में जिला के समस्त विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के औचक निरीक्षण हेतु सभी जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों /वरीय उप समाहर्त्ता /शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों तथा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को **SMS** के माध्यम से निदेश प्रेषित किया जायेगा जिसके अनुरूप समस्त जिले के विद्यालयों की सघन जॉच की जायेगी तथा उसी दिन विहित प्रपत्र में मध्याह्न भोजन वितरण संबंधी भौतिक जॉच प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा में संध्या 7:00 (सात) बजे तक समर्पित करना अनिवार्य होगा।

जॉच प्रतिवेदन में :– (1) छात्र/छात्राओं का कुल नामांकन (संख्या) (2) कुल उपस्थिति (3) वास्तविक लाभांवित का उल्लेख अनिवार्यतः होना चाहिए। इसी के साथ सभी विद्यालयों में मुद्रित मीनू **(Printed Menu)** अवश्य प्रदर्शित किया जाय तथा मीनू के अनुरूप मध्याह्न भोजन का अक्षरशः पालन किया जाय।

(अनुपालन : सभी संबंधित पदाधिकारी)

2. बैठक के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि जिलों के 6 प्रखंडों में अवस्थित कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन को निदेशित किया गया कि निदेशालय के निदेशानुसार नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, म0भो0यो0,मधेपुरा)

3. जिला पदाधिकारी, द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड साधन सेवियों को संबोधित करते हुए निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, से पूर्ण समन्वय स्थापित करें। साथ ही उनके माध्यम से अपना अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रखंड साधन सेवियों की अनुपस्थिति विवरणी गत माह की उपस्थिति के आधार पर वर्त्तमान माह की 5 वीं तारिख तक जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय अन्यथा अनुपस्थिति विवरणी के आभाव में संबंधित प्रखंड साधन सेवी को गत पूरे माह में उपस्थित मानते हुए भुगतान कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, की होगी। जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी निदेशित किया गया कि सभी प्रखंड साधन सेवी संबंधित प्रखंड संसाधन केन्द्र **(BRC)** में संधारित उपस्थित पंजी में उपस्थिति अंकित करने के बाद ही क्षेत्र भ्रमण अथवा विद्यालयों की जॉच के लिए प्रस्थान करेंगें।

(अनुपालन : सभी प्रखंड साधन सेवी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा)

4. जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि खाद्यान्न उठाव स्थल से गणतव्य स्थल तक प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक की उपस्थिति में पहुँचाया जाय तथा इसकी जानकारी ससमय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी दी जाय।

(अनुपालन : सभी प्रखंड साधन रोवी/सभी संवेदकगण/सभी थाना अध्यक्ष, मधेपुरा जिला)

5. संवदकों के द्वारा उपयोग में लाये जोन वाले पंजीकृत वाहन यथा ट्रक/ट्रैक्टर पर जिला मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा सहित संबंधित प्रखंड का नाम सूचना पट्ट/वैनर पर अंकित रहना अनिवार्य है। साथ ही वाहनों में जी0पी0आर0एस0 की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। किसी भी वाहन का रूट **(Route)** निर्धारित रहना आवश्यक है एवं किसी भी परिस्थिति में इसका मार्ग–विचलन **(Route Diversion)** नहीं किया जायेगा अन्यथा ऐसी संदेहात्मक परिस्थिति में पकड़े गये वाहनों के मामलों में संबंधित संवेदक /प्रखंड साधन सेवी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, के विरूद्व आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन : सभी प्रखंड साधन सेवी/सभी संवेदक/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी थाना अध्यक्ष)

6. जिला पदाधिकारी, द्वारा सभी प्रखंड साधन सेवी को निदेश दिया गया कि निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक माह में कम से कम 30 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना आवश्यक है, साथ ही विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भी ससमय जिला मध्याह्न भोजन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन : सभी प्रखंड साधन सेवी)

7. जिला पदाधिकारी द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि मध्याह्न भोजन योजना में पूर्णतः गतिशीलता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाय एवं किसी भी स्तर पर नाजायज वसूली अथवा भ्रष्ट्राचार के मामले मे त्वरित कार्रवाई आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त सभी विद्यालयों में 100 प्रतिशत मध्याह्न भोजन का वितरण सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, /सभी प्रखंड साधनसेवी /सभी बी0ई0ओ0 /सभी संवेदक/ सभी प्र0 अ0)

8. बैठक में स्पष्ट निदेश दिया गया कि विद्यालयों में खाद्यान्न एवं राशि के आभाव की पूर्व सूचना नियंत्री पदाधिकारी, को दी जाय ताकि मध्याह्न भोजन योजना बाधित एवं प्रभावित नहीं हो।

(अनुपालन : सभी प्रखंड साधनसेवी /सभी प्र0 अ0)

9. जिलाधिकारी, द्वारा आदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न विद्यालय में ही रखा जायेगा। इसे अन्यत्र निजि मकान एवं निजि परिसर में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

(अनुपालन : सभी प्रखंड साधनसेवी /सभी बी0ई0ओ0 /सभी संवेदक/ सभी प्र0 अ0/सभी थाना अध्यक्ष)

10. बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुपालन एवं कार्यान्वयन का निदेश भी सभी पदाधिकारियों का एवं कर्मियों को दिया गया।

(अनुपालन : सभी पदाधिकारी, /कर्मी म0भो0यो0, मधेपुरा)

जिला पदाधिकारी, के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

ह0/- 13/10/13
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1227 / मधेपुरा, दिनांक 13/10/2013
प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड साधन सेवी/ सभी संवेदक/ सभी जिला साधनसेवी मध्याह्न भोजन योजना,मधेपुरा/ सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा/ सभी थाना अध्यक्ष, मधेपुरा जिला/प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न मध्याह्न भोजन योजना,मधेपुरा/ सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (शिक्षा विभाग) मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/- 13/10/13
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1227 / मधेपुरा, दिनांक 13/10/2013
प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/- 13/10/13
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1227 / मधेपुरा, दिनांक 13/10/2013
प्रतिलिपि :– पुलीस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 13/10/13
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1227 / मधेपुरा, दिनांक 13/10/2013
प्रतिलिपि :– निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/- 13/10/13
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।